

पत्रांक: -1/ब०-2-06/2018/क 88 / 311

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग
(कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य प्रभाग)

फोन: 0651-2400981, फैक्स: 0651-2400982, ई-मेल: govjharkhandtourism@gmail.com

प्रेषक,

अमिताम कौशल
सरकार के सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग
(कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य प्रभाग)
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 14.02.2022

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2021-22 में आय व्ययक स्थापना व्यय बजट शीर्ष - 2251 - सचिवालय - सामाजिक सेवाएँ- लघु शीर्ष-090 - सचिवालय-उपशीर्ष-02 - कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, माँग संख्या-52 के अंतर्गत आवंटन के संबंध में।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट प्रावधानान्तर्गत कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य प्रभाग के स्थापना व्यय के व्यवसायिक सेवाएँ इकाई मद में 0.65 लाख (पैसठ हजार) रुपये मात्र का आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति निम्न विवरणी अनुरूप प्रदान की जाती है।

विवरणी

(राशि लाख रू० में)

क्र	इकाई	विपत्र कोड	बजट उपबंध	पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि	संशोधित बजट	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में कुल आवंटित की जाने वाली राशि
विस्तृत शीर्ष 03 प्रशासनिक व्यय							
1.	29 व्यवसायिक सेवाएँ	52S22510009002000329	3.89	0.65	4.54	3.89	0.65
कुल योग			3.89	0.65	4.54	3.89	0.65

(पैसठ हजार) रुपये मात्र।

- राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची होंगे जो वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत वित्तीय अनुदेशों, वित्त नियमावली एवं झारखण्ड कोषागार संहिता का अक्षरशः अनुपालन करते हुए राशि व्यय करेंगे।
- बजट मुख्य शीर्ष-2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ-लघु शीर्ष-090-सचिवालय-उपशीर्ष-02-कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-प्रा०ई०-17-कार्यालय उपकरण (विपत्र कोड- 52S22510009002000317) मद में प्राप्त बजट से रू० 0.65 लाख (पैसठ हजार) का पुनर्विनियोग प्राथमिक इकाई-29-व्यवसायिक सेवाएँ इकाई मद में किया गया है। विभागीय पत्रांक-01/आ०, दिनांक-05.04.2021 द्वारा कार्यालय उपकरण मद (विपत्र कोड- 52S22510009002000317) में आवंटित रू० 3.00 लाख में से रू० 0.65 लाख (पैसठ हजार) वापस लिया जाता है।
- राशि की निकासी प्रोजेक्ट भवन कोषागार, धुर्वा, राँची से की जायेगी।

5. आवंटित राशि का व्यय नहीं होने की स्थिति में शेष राशि का प्रत्यर्पण 21 मार्च, 2022 तक विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।
6. नियमित लेखा का मिलान AG से किया जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) की होगी।

ज्ञापांक: 88/311

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन कोषागार, धुर्वा, राँची / महालेखाकार झारखण्ड, पो0 डोरण्डा, राँची, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव
राँची, दिनांक: 14/02/2022

(अमिताभ कौशल)
सरकार के सचिव